FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ......सहायक कलक्टर (SDO) बापतु...... मुकाम..............

......आईदानराम...... बनाम ......गिरधारीराम वगैरा......

किस्म मुकदमा ...रा० अधि० धारा 111,128 RLR Act... नं. ...60... सन् ...2020...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम जाखड़... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...30/3/2020... को पेश हो। [illegible] 18.3.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	
30/03/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/06/2020 को पेश हो। [illegible]	
09/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकरान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/06/2020 को पेश हो। [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / आवेदन / 2020
राजस्व आवेदन संख्या –
प्रार्थी
श्री आईदानराम पुत्र
धोकलाराम, जाति
निवासी–

10/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी माढे व कणें आये हुए थे वो आंधियों की वजह से बिखर गये है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने के लिए अपने खातेदारी खेत की पक्की पत्थर बंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पत्थर बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थर बंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का पत्थरबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थर बंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 381 दिनांकः–10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –60 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री आईदानराम पुत्र धोंकलाराम, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री विरधाराम पुत्र उदाराम वगैरा 15, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 720, 729, 730 रकबा क्रमशः 9.1336, 0.0405, 2.3704 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 382-86 दिनांकः– 10/6/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आईदानराम पुत्र धोंकलाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री विरधाराम पुत्र उदाराम वगैरा 15।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested